झारखण्ड विधान सभा

ध्यानाकर्षण सूचना

चतुर्थ झारखण्ड विधान-सभा
अष्टम् (बजट)सत्र

निम्नलिखित ध्यानाकर्षण- सूचनायें झारखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन के नियम- 147 के अन्तर्गत दिनांक- 31.01.2017 के लिए माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा स्वीकृत की गयी हैं :-

क्र0सं0	सदस्य का नाम	विषय	विभाग
01.	02.	03.	04.
01-	सर्वश्री जानकी प्रसाद यादव, राज सिन्हा एवं श्री कुशवाहा शिवपुजन मेहता स0वि0स0	वित्त विभाग, झारखण्ड सरकार के संकल्प संख्या-660 दिनांक- 28.02.2009 में निरूपित प्रावधानों के आलोक में राज्य में केन्द्र सरकार के अनुरूप सेवा शर्त्तो का निर्धारण किया जाना है, जिसके तहत् केन्द्र सरकार के कार्मिक लोक निवारण एवं पेंशन मंत्रालय कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के पत्रांक- F.N0-21.12.2010- CS.I(P) दिनांक- 21.12.15 के आलोक में अपने अधीनस्थ कर्मियों यथा सहायक को सहायक प्रशाखा पदाधिकारी के पदनाम से आदेश निर्गत किया गया है। अतएव वित्त विभाग एवं केन्द्र सरकार के उपरोक्त आदेश के आलोक में सचिवालय सेवा के सहायक को सहायक प्रशाखा पदाधिकारी पदनाम से लागू कराने हेतु सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हैं।	कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा
02-	सर्वश्री दीपक बिरूवा, चम्पाई सोरेन एवं श्री नलिन सोरेन स0वि0स0	पं0 सिंहभूम जिला में 22 लोह अयस्क खदानों के लाइसेंस धारियों के लीज नवीकरण से संबंधित आदेश केन्द्र सरकार के खान विभाग द्वारा खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) संशोधन अध्यादेश-2015 की धारा 8(ए)(6) के तहत् दिनांक- 20.03.2015 को नन् कैपटिव माईंस मालिकों के लीज को 31 मार्च 2020 तक के लिए स्वतः विस्तारित कर दिया गया	उद्योग, खान एवं भूतत्व

कृ0पृ030

01.	02.	03.	04.
		विदित् हो कि केन्द्र सरकार के उक्त आदेश के विरूद्ध राज्य सरकार ने 9 जून 2015 को लीज नवीकरण हेतु एक समिति बनाकर इसपर समुचित निर्णय देने के लिए अधिकृत कर दिया, जो लौह अयस्क खदान नवीकरण के मामले में माला राय बनाम झारखण्ड सरकार के रिवीजन एप्लीकेशन सं0-06/05/2010-आर0सी0-1 में पारित अन्तरिम आदेश सं0- 698/11, दिनांक- 17.11.2011 एवं MMDR एक्ट 1960 तथा MCR एक्ट 1957 की धारा-26(2) का उल्लंघन है। राज्य सरकार कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा के सिद्धांत का अनुपालन न करते हुए लीज नवीकरण के मामले में पूराने बिन्दुओं को अस्वीकृति का आधार बना दिया जिससे स्थानीय लोगों को बेरोजगारी की समस्या से जुझना पड़ रहा है साथ ही 550 करोड़ रूपये की सालाना राजस्व की क्षति हो रही है। अतएव उक्त अध्यादेश एवं न्यायाधिकरण के न्याय निर्णय के आलोक में अन्य राज्यों (महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एवं कर्नाटक) के तर्ज पर लौह अयस्क आवंटित लीजधारकों को खनन् करने का आदेश देने हेतु सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हैं।	
03-	श्रीमती निर्मला देवी स0वि0स0	रामगढ़ जिलान्तर्गत पतरातू प्रखण्ड में पतरातू, थर्मल पावर स्टेशन (पी0टी0पी0एस0) के छाई डैम नं0-1 के लिए वर्ष 1972-73 में ग्राम-बलकुदरा का 192 एकड़ L.A केश नं0-84/72-73, ग्राम रसदा का 147 एकड़ एकड़ L.A केश नं0-87/72-73 तथा ग्राम जयनगर का 93 एकड़ L.A केश नं0-85/72-73 के तहत् कुल 432 एकड़ जमीन के अधिग्रहण की प्रक्रिया पूरा करने में 20 वर्ष से अधिक समय लगाया गया, जमीन का मुआवजा का दर 1972 के पूर्व का रजिस्ट्री दर लिया गया जिसके चलते कौड़ी के भाव में मुआवजा रू0 05/-, रू0 06/-,रू0 08/- प्रति डिसमील के दर पर तय किया गया। जिसका रैयत विरोध किए और उचित दर, मुआवजा एवं नौकरी एवं पूनर्वास की सुविधा का मांग करते हुए आज तक मुआवजा ग्रामीण नही लिए, मुआवजा की राशि ट्रेजरी में जमा करा दिया गया मगर अभी तक तीनों गाँवों के रैयत आज	राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार

कृ0पृ030

01.	02.	03.	04.
		तक उस जमीन में खेती कर अपना भरण-पोषण कर जीविकोपार्जन कर रहे हैं। अब पी0टी0पी0एस0 उस जमीन को एन0टी0पी0सी0 को सौंपने की तैयारी कर रही है। जिससे ग्रामीण मर्माहत है। सरायकेला जिला में इसी प्रकार भूमि अधिग्रहण किया गया था, जिसमें झारखण्ड हाईकोर्ट ने अगस्त 2016 में फैसला सूनाया कि भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 2013 के तहत् मुआवजा भूगतान किया जाएगा। अतः मैं सदन के माध्यम से सरकार का ध्यानाकृष्ट करवाना चाहती हूँ कि एन0टी0पी0सी0 से भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 के तहत रैयतों को उचित मुआवजा, नौकरी एवं पूनर्वास दिलवाना चाहेगी।	
04-	सर्वश्री अमित कुमार मंडल, अशोक कुमार एवं श्री नारायण दास स0वि0स0	गोड्डा जिला में एकमात्र महिला डिग्री महाविद्यालय स्थानीय बुद्धिजीवी ग्रामीणों द्वारा दिनांक- 05 सितम्बर, 1983 को स्थापित की गई है उक्त महाविद्यालय में दो संकाय कला एवं विज्ञान की नियमित पढ़ाई की जा रही है। वर्त्तमान समय में 1300 छात्राऐं अध्ययनरत है, जिसके लिए सृजित 43 पद पर शिक्षक/शिक्षिकाऐं एवं 53 शिक्षकेत्तर कार्यरत है। महाविद्यालय को 6.25 एकड़ जमीन, 32 कमरा, दो छात्रावास, एक इन्डोर स्टेडियम एवं खेल का मैदान भी उपलब्ध है। डिग्री स्तर के लिए वर्ष 1990 में सरकार द्वारा स्थायी मान्यता भी प्राप्त है, समय-समय पर सरकार द्वारा महाविद्यालय को अनुदान भी देती आ रही है। इसके बावजूद भी सरकार महाविद्यालय को सरकारीकरण नहीं किया है, कई ऐसे शिक्षक, शिक्षकेत्तर कर्मचारी है, जो सेवानिवृत हो गये है, कई की सेवाकाल में मृत्यु हो गयी है और कईयों का प्रतियोगिता परीक्षा के लिए उत्र सीमा समाप्त होने के कगार पर है। ऐसे सभी कर्मियों की पूर्व से ही माली हालत खराब है इतने कम मानदेय पर इनको परिवार चलाना मुश्किल हो रहा है। सरकार से मिलने वाला अनुदान इनके जीवन यापन के लिए काफी कम है। अतः सरकार से मांग करते हैं कि सरकार उक्त महाविद्यालय के सर्वागीण विकास के साथ कर्मियों के भविष्य एवं इनके परिवार की स्थिति-परिस्थिति को देखते हुए सरकार अपनी घोषणा के अनुसार प्रत्येक जिला में एक महाविद्यालय के रूप में गोड्डा महिला कॉलेज का पूर्णतः सरकारीकरण करें।	उच्च एवं तकनीकी शिक्षा

कृ0पृ030

01.	02.	03.	04.
05-	श्री जगरनाथ महतो स0वि0स0	बोकारो जिलान्तर्गत नावाडीह प्रखण्ड जो विकास से कोसों दूर, अत्यन्त पिछड़ा एवं आदिवासी बाहुल्य, नक्सल प्रभावित क्षेत्र है जहाँ एक भी नर्स प्रशिक्षण केन्द्र नहीं है तथा योग्य अभ्यार्थी की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं रहने के कारण बाहर जाकर प्रशिक्षण लेने में असमर्थ है। अतः रोजगार का सृजन एवं रोगियों का शुलभ इलाज के लिए नावाडीह प्रखण्ड में नर्स प्रशिक्षण केन्द्र खोलने हेतु सरकार का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूँ।	स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण

राँची,
दिनांक- 31 जनवरी, 2017 ई0।

बिनय कुमार सिंह
प्रभारी सचिव,
झारखण्ड विधान सभा, राँची।

ज्ञाप सं0-ध्या0 एवं अना0प्र0-01/2017-1138/वि0 स0, राँची, दिनांक-30/01/17

प्रतिः- झारखण्ड विधान सभा के मा0सदस्यगण/ मा0मुख्यमंत्री/ एवं अन्य मंत्रिगण/ मुख्य सचिव, झारखण्ड सरकार, राँची/ मा0 राज्यपाल के प्रधान सचिव/ लोकायुक्त के आप्त सचिव/ महाधिवक्ता उच्च न्यायालय राँची/ कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग/उद्योग, खान एवं भूतत्व विभाग/राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग/उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग एवं स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

30/1/17

(एस शिराजे कजीह बंटी)
उप सचिव,
झारखण्ड विधान सभा, राँची।

ज्ञाप सं0-ध्या0 एवं अना0प्र0-01/2017-1138/वि0 स0, राँची, दिनांक- 30/01/17

प्रतिः- आप्त सचिव, अध्यक्षीय कार्यालय/आप्त सचिव, सचिवीय कार्यालय को क्रमशः मा0 अध्यक्ष महोदय एवं प्रभारी सचिव के सूचनार्थ प्रेषित।

30/1/17

उप सचिव,
झारखण्ड विधान सभा, राँची।

31/1
30/01/17

सुभाष/-